ुपनश्य:

आरोपी परसराम की ओर से श्री एम.एस. अधि. द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा.फौ. पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से आरोपी के विरूद्ध यह परिवाद विद्य ुत अधिनियम की धारा 138 के तहत विद्युत उर्जा की बकाया राशि 62072 जमा न किये जाने कनेक्शन काटने के उपरांत सीधे तार डालकर विद्युत चोरी करने बावत् प्रस्तुत किया गया है। परिवादी की ओर से आवेदन पर आपत्ति की गयी।

आरोपी की ओर से आवेदन में निवेदन किया है कि उसके विरूद्ध परिवाद झूठा प्रस्तुत किया गया है जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। वह जमानत की संपूर्ण शर्तों का पालन करेगा। उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है और आरोपी पर जारी वारंट की तामील हो चुकी है। आज आरोपी को गिरफतार कर पेश किया गया है उसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी नियत प्रत्येक पेशियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा। तो उसकी ओर से तीस हजार रुपए की सक्षम जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे जमानत पर छोडा जावे।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 20.09.17 को पेश हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश विद्युत, गोहद